न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 82/21 वर्ष 2021
GCMS No- 2021/232

बउनवानीः– 1. हेमराज पुत्र चतरू जाति मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर
2. प्रकाश पुत्र चतरू जाति मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर
3. रूपचन्द पुत्र चतरू जाति मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर
4. चतरू पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 3801 रकबा 0.25 है0 का अवार्ड देने बाबत।

उपस्थितः–1. श्री भोलाशंकर शर्मा — वकील प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा — वकील अप्रार्थी 2

–: निर्णय :– **दिनांकः– 26.10.2023**

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 3801 रकबा 0.25 है0 का अवार्ड देने बाबत जारी नोटिस कमांक/पीए/भूमि अवाप्ति/संरचना/2021/839 दिनांक 1.3.2021 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा वाके ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 3801 रकबा 0.25 है0 भी अवाप्त की गयी है जिसके कमश अमरचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण, रामकिशन पुत्र हरिनारायण, प्रकाश पुत्र चतरू हिस्सा बराबर के खातेदार है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा लेट्रिन बाथरूम व मकान का सम्पूर्ण निर्माण कर उनकी सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर रखा है। प्रार्थीगण को उक्त अवाप्त भूमि का अवार्ड दिनांक 1.3.2021 को मिल चुका है। किन्तु उक्त भूमि पर बने हुए लेट्रिन बाथरूम व मकान का अवार्ड देने बाबत जो नोटिस जारी किया गया है उसमे अवार्ड का गलत रूप से कम गणना की जाकर 1,00,634/–रू तय किये गये जबकि उक्त सम्पति की अवार्ड लगभग 10[illegible]/–रू होना चाहिए। उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आपत्ति दर्ज करवायी गयी है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नही की गयी है। अतः उक्त [illegible] मुआवजा प्रार्थीगण को दिलवाये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग क़े प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर ''एवं ''राजस्थान पत्रिका ''में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म बारानी–1 असिचिंत* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वाके ग्राम डेकवा तहसील स0मा0 की भूमि खसरा नम्बर 3801 मे से 0.1643 व 0.0857 है0 भूमि अवाप्त की गयी है जिसकी अवार्ड राशि 4,90,933 / –रू का भुगतान हितबद्ध व्यक्ति को किया गया है तथा उक्त भूमि पर लगे हुए अमरूद के 20 पौधो की अवार्ड राशि 76,200/–रू तथा दुसरे 20 अमरूद के पौधो की अवार्ड राशि 5,43,240/–रू एवं एक बबूल के पेड की अवार्ड राशि 1726/–रू का भुगतान हेमराज पुत्र चतरू को किया जा चुका है तथा इस भूमि पर बने हुए बॉथरूम का 76,552/–रू तथा बाउण्ड्रीवाल का 1,00,36/–रू एवं सेफ्टी टैंक की अवार्ड राशि 20,000/–रू का भुगतान हितबद्व व्यक्ति प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता चतरू पुत्र रामपाल मीना को किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अवाप्त भूमि पर ओर कोई निर्माण कार्य नही होने के कारण अवार्ड नही दिया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस में निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:34 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हू कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 3801 रकबा 0.25 है0 भी अवाप्त की गयी है अवाप्त भूमि के खातेदार क्रमश अमरचन्द पुत्र लक्ष्मीनारायण, रामकिशन पुत्र हरिनारायण, प्रकाश पुत्र चतरू हिस्सा बराबर है। भूमि का अवार्ड दिनांक 01.03.2021 को मिल चुका है किन्तु उक्त भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा लेट्रिन बाथरूम व मकान एवं उनकी सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल का किये गये निर्माण कार्य का अवार्ड का गलत रूप से कम गणना की जाकर 1,00,634/–रू तय किया गया जबकि उक्त सम्पति की अवार्ड राशि लगभग 10,00,000/–रू होना चाहिए। वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया कि ग्राम डेकवा तहसील स0मा0 की भूमि खसरा नम्बर 3801 मे से 0.1643 व 0.0857 है0 भूमि अवाप्त की गयी है जिसकी अवार्ड राशि 4,90,933/–रू का भुगतान हितबद्व व्यक्ति को किया गया है तथा उक्त भूमि पर लगे हुए अमरूद के 20 पौधो की अवार्ड राशि 76,200/–रू तथा दुसरे 20 अमरूद के पौधो की अवार्ड राशि 5,43,240/–रू एवं एक बबूल के पेड की अवार्ड राशि 1726/–रू का भुगतान हेमराज पुत्र चतरू को किया जा चुका है तथा इस भूमि पर बने हुए बॉथरूम का 76,552/–रू तथा बाउण्ड्रीवाल का 1,00,36/–रू एवं सेफ्टी टैंक की अवार्ड राशि 20,000/–रू का भुगतान हितबद्व व्यक्ति प्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता चतरू पुत्र रामपाल मीना को किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उक्त अवाप्त भूमि पर ओर कोई निर्माण कार्य नही होने के कारण उक्त अवार्ड के अतिरिक्त अन्य कोई अवार्ड प्रार्थी को दिया जाना सम्भव नही है तथा अवाप्त किये गये स्ट्रेक्चर की गणना विधिवत की गयी है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष मे उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner